ए.

मन्नो लाल जयस्वाल बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 97)

बी.

25 जनवरी, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।439 और 161-जमानत-अनुदान-अपीलार्थी ने अपने बेटे की हत्या के लिए प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की-प्रतिवादी-अभियुक्त ने जमानत के लिए आवेदन किया-सत्र न्यायालयों ने उक्त जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को जमानत दे दी-अपीलार्थी ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रस्तुत किया कि-(i) उच्च न्यायालय ने गलती से नोट किया कि अभियुक्त व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और गवाहों का बयान यू/एस।161 Cr.PC को अत्यधिक देरी के बाद फिर से कोड किया गया था; (ii) उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया है और यह नहीं माना है कि अपराध यू/एस द्वारा किया गया था।149; (iii) कोई कारण नहीं दिया गया था और निर्णय यांत्रिक रूप से और दिमाग के उपयोग के बिना पारित किया गया था-आयोजितःअभियुक्त व्यक्तियों को एफ. आई. आर. और यू/एस. के बयानों में नामित किया गया था।161 Cr.PC. को उसी दिन दर्ज किया गया था-उच्च न्यायालय ने जमानत देने में गलत तथ्यों को लागू किया था-जब अभियुक्तों पर यू/एस आरोप लगाया गया था।149 और जब उनकी उपस्थिति साबित की गई, इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका प्रासंगिक नहीं है-उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और प्रकृति को स्वीकार नहीं किया है और जमानत देते समय कोई कारण नहीं बताए गए हैं-उच्च न्यायालय ने यांत्रिक रूप से और गलत तथ्यों के आवेदन पर जमानत दी है-उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-प्रत्यर्थीगणओं को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है-दंड संहिता, 1860-एस. एस.147,148, 149, 323, 504, 506, 302, 307 और 34.

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़ना:**1.**तथ्य यह है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों को प्राथमिकी में नामित किया गया था और यहां तक कि धारा **161 Cr.PC** के तहत प्रासंगिक गवाहों के बयान भी उसी दिन दर्ज किए गए थे, व्यापक तथ्यों को लागू करने पर, उच्च न्यायालय ने संबंधित ए.

एच.

990

991

मन्नो लाल जयस्वाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

प्रत्यर्थीगण **No.2-accused** जमानत पर।उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की ओर से की गई दलीलों को नोट किया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और अनुसंधान के दौरान उनके नामों का खुलासा किया गया था और धारा **161 Cr.PC** के तहत गवाहों के बयान बाद के चरण में/देर से दर्ज किए गए थे।उपरोक्त तथ्य तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।यहां तक कि अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी कहा है कि अभियुक्त की ओर से यह मामला नहीं था कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और/या धारा **161 Cr.PC** के तहत गवाहों के बयान देर से और/या बाद में दर्ज किए गए थे।इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने ऐसे गंभीर अपराधों में संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या **2** को जमानत दे दी है, जिसमें एक व्यक्ति को यंत्रवत रूप से और सही तथ्यों को लागू किए बिना मार दिया गया था।**[**पैरा **8.1] [995-**एफ**-**एच**; 996-**ए**]**

बी.

सी.

2. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों को नोट किया है कि संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या **2** की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि विकेट को हथियार के रूप में उपयोग करना उस स्तर पर यह समझना मुश्किल है कि अभियुक्त ने व्यक्ति पर घातक चोट पहुंचाई है।जब अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **149** के

तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोप लगाया गया था और जब उनकी उपस्थिति साबित की गई है और यह कहा गया है कि वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, तो व्यक्तिगत अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत भूमिका और/या स्पष्ट कार्य महत्वपूर्ण और/या प्रासंगिक नहीं है। अन्यथा भी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों में संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या **2** को जमानत पर रिहा करने का आदेश **(**ओं**)** अस्थिर है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता और प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण भी नहीं बताया गया है।**[**पैरा **8.2,8.3] [996-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

3. अन्यथा भी**,** उच्च न्यायालय ने अनिल कुमार यादव मामले में जमानत देते समय प्रासंगिक विचारों पर भी विचार नहीं किया है जैसा कि इस न्यायालय ने देखा और माना है। उक्त निर्णय में**,** इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जमानत देते समय**,** प्रासंगिक विचार **(i)** अपराध की गंभीरता की प्रकृति**; (ii)** साक्ष्य और परिस्थितियों की प्रकृति जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं**;** और

जी.

एच.

ए.

((iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना**; (iv)** अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव**,** समाज पर इसका प्रभाव**;** और **(v)** उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना।विवादित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों और/या विचारों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है।**[**पैरा **9] [996-G-H; 997-A]**

बी.

अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और एक अन्य;

(2018) 12 एससीसी **129:[2017] 11** एस**.** सी**.** आर**. 979 4.4-**पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

सी.

उस पर भरोसा करें

पैरा **4.4**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 97।

2020 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन No.6294 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांक 06.10.2020 के निर्णय और आदेश से।

डी.

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 98।

विजय कुमार शुक्ला, वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री नूपुर शुक्ला, शांतनु एल शर्मा, जे. के. वर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, कृष्णा एम. सिंह, राजीव कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

एम. आर. शाह, जे.

1. आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।जमानत आवेदन संख्या 2020 की 6294 और 2020 की 7992 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,149,323,504,506,302,307 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2019 के केस क्राइम के संबंध में संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा कर दिया है, पी. एस. बरहाज, जिला देवरिया, मूल सूचनादाता/शिकायतकर्ता-मृतक के पिता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

जी.

एच.

993

मन्नो लाल जयस्वाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2. कि अपीलार्थी ने अपने बेटे की हत्या के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,149,323,504,506,302,307 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2-अभियुक्तों ने विद्वान सत्र न्यायालयों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवरिया के समक्ष उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन किया।विस्तृत निर्णय (ओं) और दिनांक 19.11.2019 और 22.01.2020 के आदेश (ओं) द्वारा, विद्वान सत्र न्यायालयों ने मामले के डेयरी और अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद उक्त जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया। विद्वान सत्र अदालतों ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में है और यह आरोप लगाया गया है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक समान इरादे से मृतक पर तलवार, हॉकी, छड़ी और रॉड से हमला किया और वादी के बेटे की हत्या कर दी।विद्वान सत्र न्यायालय ने नोट किया कि धारा 161 Cr.PC के तहत दर्ज गवाहों के बयान में संबंधित गवाहों ने घटना के समर्थन में सबूत दिए हैं।कि इसके बाद संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 439 Cr.PC के तहत वर्तमान आवेदनों के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।विवादित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) द्वारा, उच्च न्यायालय ने गलत तथ्यों को लागू किया (जो नीचे प्रदर्शित किया गया है) और संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा कर दिया है।

बी.

सी.

डी.

3. संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी -मृतक के पिता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

ई.

4. अपीलार्थी-वादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार शुक्ला ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने में गंभीर त्रुटि की है।

एफ.

4.1 अपीलार्थी की ओर से पेश श्री विजय कुमार शुक्ला विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते हुए उच्च न्यायालय ने गलत तथ्यों को लागू किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णयों और आदेशों में उल्लेख किया है कि अभियुक्तों का नाम प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन

अनुसंधान के दौरान उनके नाम सामने आए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यात्मक रूप से गलत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को शुरू से ही प्राथमिकी में नामित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्तों की ओर से यह मामला नहीं था कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और अनुसंधान के दौरान उनके नाम सामने आए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित विद्वान भी

जी.

एच.

994

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

सत्र अदालतों ने जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए विशेष रूप से उल्लेख किया है कि प्राथमिकी में अभियुक्तों का नाम था।

4.2 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि धारा 161 Cr.PC के तहत गवाहों का बयान 20 दिनों से अधिक की अत्यधिक देरी के बाद दर्ज किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 161 Cr.PC के तहत संबंधित गवाहों के बयान घटना के दिन ही दर्ज किए गए थे।4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी नोट नहीं किया है और/या यह नहीं माना है कि कथित अपराध भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 149 के तहत भी था और इसलिए जब यह पाया गया कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक समान इरादे से मृतक पर तलवार, हॉकी, छड़ी और रॉड से हमला किया और वादी के बेटे की हत्या कर दी, तो प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई व्यक्तिगत भूमिका महत्वहीन है और बिल्कुल भी प्रासंगिक विचार नहीं है।

बी.

सी.

डी.

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अभियुक्त की ओर से और साथ ही विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद सामान्य टिप्पणियां करते हुए कि अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, पक्षों के लिए

विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अभियुक्त ने जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है, आगे कोई कारण नहीं दिए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2-अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश यांत्रिक रूप से और विवेक के उचित अनुप्रयोग के बिना और जमानत देने के प्रासंगिक विचारों पर विचार किए बिना पारित किया गया है जैसा कि अनिल के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

ई.

एफ.

कुमार यादव बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और दूसरा; (2018) 12

एस. सी. सी. 129 का बिल्कुल भी पालन और/या विचार नहीं किया जाता है।5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302,147,148,149 के तहत ऐसे गंभीर अपराधों में, उच्च न्यायालय को संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था।

जी.

6. वर्तमान अपीलों का विरोध श्री कृष्ण एम. सिंह द्वारा किया जाता है, जो अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हैं-संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2।

एच.

995

मन्नो लाल जयस्वाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से अभियुक्तों की ओर से यह मामला कभी नहीं था कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और/या धारा 161 Cr.PC के तहत गवाहों के बयान बाद के चरण में/देर से दर्ज किए गए थे।उन्होंने हमें जमानत याचिकाओं में किए गए प्रासंगिक कथनों पर ले जाया है।

6.2 हालाँकि, जब संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 की भूमिका यह है कि उन्होंने विकेट का उपयोग किया और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि उन्होंने किसी घातक हथियार का उपयोग किया और/या मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई, तो उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने में कोई त्रुटि नहीं की है, विशेष रूप से जब संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2-आरोपी क्रमशः 26.08.2019 और 05.09.2020 के बाद से जेल में थे और उस आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

बी.

सी.

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 और अन्य अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,149,323,504,506,302,307 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। कि वादी और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 सहित सभी अभियुक्तों ने एक समान इरादे से मृतक पर तलवार, हॉकी, छड़ी और छड़ से हमला किया और वादी के बेटे की हत्या कर दी।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर पांच चोटें और सिर के पश्चवर्ती क्षेत्र में दाहिने तरफ फ्रैक्चर पाया गया और मस्तिष्क में हेमेटोमा की उपस्थिति पाई गई।

डी.

ई.

8.1 इस तथ्य के बावजूद कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों को प्राथमिकी में नामित किया गया था और यहां तक कि धारा 161 Cr.PC के तहत प्रासंगिक गवाहों के बयान भी उसी दिन दर्ज किए गए थे, गलत तथ्यों को लागू करने पर, उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा कर दिया है।उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की ओर से की गई दलीलों को नोट किया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और अनुसंधान के दौरान उनके नामों का खुलासा किया गया था और धारा 161 Cr.PC के तहत गवाहों के बयान बाद के चरण में/देर से दर्ज किए गए थे। उपरोक्त तथ्य तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।यहां तक कि अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त की ओर से यह मामला नहीं था कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और/या धारा 161 Cr.PC के तहत गवाहों के बयान देर से और/या बाद के चरण में दर्ज किए गए थे।

एफ.

जी.

एच.

इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने ऐसे गंभीर अपराधों में संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत दे दी है जिसमें एक व्यक्ति की यांत्रिक रूप से और सही तथ्यों को लागू किए बिना हत्या कर दी गई थी।

8.2 अन्यथा भी उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है कि सभी अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोप लगाए गए थे और जैसा कि विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश में उल्लेख किया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक समान इरादे से मृतक-सुमित जायसवाल पर तलवार, हॉकी, छड़ी और छड़ जैसे घातक हथियारों से हमला किया था।उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से की गई दलीलों को नोट किया है कि संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि विकेट को हथियार के रूप में उपयोग करना उस स्तर पर यह समझना मुश्किल है कि अभियुक्त ने व्यक्ति पर घातक चोट पहुंचाई है।जब अभियुक्तों पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी आरोप लगाया गया था और जब उनकी उपस्थिति साबित की गई है और यह कहा गया है कि वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, तो व्यक्तिगत अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत भूमिका और/या स्पष्ट कार्य महत्वपूर्ण और/या प्रासंगिक नहीं है।

बी.

सी.

डी.

8.3 अन्यथा भी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों में संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का आदेश (ओं) अस्थिर है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता और प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा एक पैराग्राफ में नीचे दिए गए अवलोकन के अलावा कोई कारण नहीं दिया गया है:- “आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, प्रथम दृष्टया, केवल जमानत के उद्देश्य के लिए काफी आकर्षक और आश्वस्त करने वाली हैं। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।” उपरोक्त को शायद ही कारण निर्दिष्ट करने के लिए कहा जा सकता है।9. अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने अनिल कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में जमानत देते समय प्रासंगिक विचारों पर भी विचार नहीं किया है जैसा कि इस न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित किया है।उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जमानत देते समय, प्रासंगिक विचार (i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii) साक्ष्य और परिस्थितियों का चरित्र जो

अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर उसकी रिहाई का प्रभाव, ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

997

मन्नो लाल जयस्वाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

समाज; और (v) उसके छेड़छाड़ की संभावना।विवादित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय प्रासंगिक तथ्यों और/या विचारों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को यांत्रिक रूप से और गलत तथ्यों को लागू करने पर जमानत पर रिहा कर दिया है, जो अभियुक्तों के अनुसार भी उनके मामले नहीं थे।विवादित निर्णय और संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों पर अस्थिर हैं।

बी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती हैं।उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रत्यर्थीगण संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।अब प्रत्यर्थी संख्या 2-प्रद्युम्न उर्फ प्रद्युम्न उर्फ दीपक गुप्ता 2022 की आपराधिक अपील No.97 में और प्रत्यर्थी संख्या 2-शालू 2022 की आपराधिक अपील No.98 में तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए।हालांकि, यह देखा गया है कि वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों को केवल जमानत पर निर्णय लेने के उद्देश्य से सीमित किया जाना चाहिए और विद्वत विचारण न्यायालय मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार और दोनों पक्षों के नेतृत्व वाले साक्ष्यों के आधार पर इसका फैसला करेगा।तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है।

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

ई.

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.